"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 422] रायपुर, सोमवार, दिनांक 16 सितम्बर 2013—भाद्र 25, शक 1935

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2013

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-8/2004/29/खाद्य-2.—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (क्रमांक 10 सन् 1955) की धारा 3 सहपठित धारा 5 सहपठित भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश क्रमांक जी.एस.आर. 630 (अ) दिनांक 31-08-2001 तथा छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 25 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2004 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त आदेश में—

1. पैरा 2 के उप-पैरा (1) में खण्ड (छ) के उपखण्ड (पांच) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—
   "(पांच) ऐसे अन्य राशनकार्ड जो केन्द्र या राज्य के खाद्य सुरक्षा संबंधी किसी अधिनियम अथवा योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को जारी किया गया हो."

2. पैरा 19 के पश्चात्, निम्नलिखित को जोड़ा जाए, अर्थात् :—
   "19 क. केन्द्र अथवा राज्य के खाद्य सुरक्षा संबंधी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत, उपरोक्त केन्द्र अथवा राज्य के अधिनियम में उल्लेखित पात्रताओं एवं संबंधित योजना के क्रियान्वयन हेतु, राज्य सरकार का, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, आवश्यक आदेश जारी कर सकेगा."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 सितम्बर 2013

क्रमांक एफ 13-8/2004/29/खाद्य-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 16 सितम्बर 2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास शील, सचिव.

Raipur, the 16th September 2013

NOTIFICATION

No. F 13-8/2004/29/Food-2.—In exercise of the powers conferred by Section 3 read with Section 5 of the Essential Commodities Act, 1955 (No. 10 of 1955) read with the Public Distribution System (Control) Order No. G.S.R. 630 (A) dated 31-08-2001 issued by the Government of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and sub-section (2) of Section 25 of the Chhattisgarh Food and Nutritional Security Act, 2012 (No. 5 of 2013), the State Government, hereby makes the following further amendment in the Chhattisgarh Public Distribution System (Control) Order 2004, namely :—

AMENDMENT

In the said Order,—

1. For sub-clause (v) of clause (g) of sub-para (1) of Para 2, the following shall be substituted, namely :—
   "(v) Such other ration card issued to the eligible person under any Central or State Act or Scheme related to food Security."

2. After Para 19, the following shall be added, namely :—
   "19 A. Under the provisions of the Central or State Act relating to food Security, the Food, Civil Supplies and Consumer Protection Department of the State Government may issue necessary order for implementation of the eligibility and schemes related to aforesaid Central or State Act."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIKAS SHEEL, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.